तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1505/2003/सीकर हुकमा राम बनाम रामेश्वर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री जी.एस. लखावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय
दिनांक 04.02.2019

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–02–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उसकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 17 में सदैव से आवागमन करने का एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 238, 235 व 237 में से होकर रहा है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर बन्द कर दिया है, जिसे खुलवाया जावे। उक्त प्रार्थनापत्र को बाद सुनवाई पारित निर्णय से खारिज कर दिया, जिसे विरूद्ध अपर जिला कलक्टर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–01–2000 से स्वीकार कर प्रकरण अतिरिक्त तहसीलदार, रामगढ को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में अति. तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 25–10–2002 प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने अपर जिला कलक्टर, सीकर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–02–2003 से खारिज कर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1505/2003/सीकर हुकमा राम बनाम रामेश्वर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अतिरिक्त तहसीलदार ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को सही रूप से निर्णीत नहीं कर एक प्रकार से अपने क्षेत्राधिकार को काम में नहीं लिया। उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या–1 ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में खसरा नम्बर 17 पर पहुंचने के लिए अपने खते खसरा नम्बर 238 व अप्रार्थी संख्या–2 व 3 के खेतों में से पगडण्डी होना बताया है एवं स्वीकार किया है तथा इस पगडण्डी के जरिये आराजी खसरा नम्ब्र 17 पर पहुंचने का उपयोग प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से करता आ रहा है, उसके इस अधिकार को किसी प्रकार का अवरूद्ध कर समाप्त नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों को मौका रिपोर्ट के आधार पर एवं एडमीशन के आधार पर प्रार्थी जिस हद तक रास्ता का अधिकार था, कि दादरसी देनी चाहिए थी। उनका कथन है अतिरिक्त तहसीलदार ने प्रतिप्रेषित निर्णय में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं करते हुए प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को निरस्त किया जाकर प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अतिरिक्त तहसीलदार ने प्रतिप्रेषित निर्णय की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1505/2003/सीकर हुकमा राम बनाम रामेश्वर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुपालना में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा स्वयं विवादित आराजी का मौका निरीक्षण करने के उपरान्त विधिसम्मत् निर्णय से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज किया गया है। उनका कथन है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी की आराजी में आने जाने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध है, उनकी खातेदारी की आराजी में से प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। ना ही उनके पक्षकार द्वारा कोई रास्ता अवरूद्ध किया गया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में ररखते हुए निगराधीन समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षपे किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उसकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 17 में सदैव से आवागमन करने का एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 238, 235 व 237 में से होकर रहा है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर बन्द कर दिया है, जिसे खुलवाया जावे। उक्त प्रार्थनापत्र को बाद सुनवाई पारित निर्णय से खारिज कर दिया, जिसे विरूद्ध अपर जिला कलक्टर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–01–2000 से स्वीकार कर प्रकरण अतिरिक्त तहसीलदार, रामगढ को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में अति. तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 25–10–2002 प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1505/2003/सीकर हुकमा राम बनाम रामेश्वर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खारिज कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी हुकमाराम खसरा नम्बर 17 का सहखातेदार है। खसरा नम्बर 17 के अन्य किसी भी सहखातेदार द्वारा अप्रार्थीगण की आराजी में से रास्ते की मांग नहीं की गयी है। मौखिक साक्ष्य में भी खसरा नम्बर 17 की आराजी में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी में से रास्ता नहीं होना कथन किया गया है तथा खसरा नम्बर 17 की आराजी में आने जाने हेतु एक प्रचलित रास्ता नारसरा से लावण्डा जाता है, जिसका उपयोग व उपभोग खसरा नम्बर 17 की आराजी में आने जाने हेतु किया जाता है। साथ ही मौका निरीक्षण व पटवारी रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 17 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की ओर से रास्ता अवरूद्ध नहीं किया गया है। अतिरिक्त तहसीलदार, रामगढ शेखावाटी एवं अपर जिला कलक्टर, सीकर द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध इन्हीं दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं अपील को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी हमारे समक्ष ऐसा कोई नवीन तथ्य अथवा ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके है, जिससे अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होना माना जा सकें। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1505/2003/सीकर हुकमा राम बनाम रामेश्वर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	